पत्र के साथ अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 खारिज किया जाता है । पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20.11.2018 को पेश हो ।

28/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20/11/18 अधिवक्तागण उप0 / पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/12/18 को पेश हों। वास्ते बहस

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17/12/18 वकील उभयपक्ष उपस्थित । माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से हल्की मिसल की चिट्ठी प्राप्त हुई है। न्यायालय द्वारा की पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवा दी जावे। बाद निर्णय राजस्व मण्डल से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज की जावे। पत्रावली बाद निर्णय खारिज दफ्तर हो व नम्बर से कम हो।

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा